काउंसिलिंग प्रक्रिया

प्रवेश परीक्षा के आधार पर मध्यप्रदेश के शासकीय स्वशासी चिकित्सा एवं दंत चिकित्सा एवं निजी चिकित्सा/दंत चिकित्सा महाविद्यालयों में स्नातक (एम.बी.बी.एस./बी.डी.एस.) पाठयक्रमों में प्रवेश के लिये मध्यप्रदेश शासकीय स्वशासी चिकित्सा तथा दंत चिकित्सा महाविद्यालय स्नातक प्रवेश नियम 2017 के नियम 9 तथा मध्यप्रदेश में राज्य से वित्तीय सहायता न पाने वाले निजी चिकित्सा महाविद्यालयों एवं दंत चिकित्सा महाविद्यालयों में एम.बी. बी.एस. तथा बी.डी.एस. पाठयक्रम में प्रवेश की पात्रता, प्रवेश की रीति एवं स्थानों के आरक्षण (अनिवासी भारतीय के लिए स्थानों का आरक्षण सम्मिलित है) के लिए विनियम, 2017 के विनियम 9 के अनुसार काउंसिलिंग की प्रक्रिया निम्नानुसार रहेगी :–

1–सामान्य

(i) काउंसिलिंग की सम्पूर्ण प्रक्रिया ऑनलाईन की जायेगी । इस हेतु, निर्धारित पोर्टल www.dme.mponline.gov.in पर (जिसे आगे पोर्टल कहा गया है) का उपयोग किया जायेगा ।

(ii) काउंसिलिंग से संबंधित विस्तृत जानकारी समय–समय पर कार्यालय आयुक्त चिकित्सा शिक्षा की वेबसाईट www.medicaleducation.mp.gov.in एवं पोर्टल पर प्रदर्शित की जायेगी। अभ्यर्थी को सलाह दी जाती है कि वह वेबसाईट से सतत् संपर्क में रहे।

(iii) सीटों की पाठ्यक्रमवार एवं महाविद्यालयवार जानकारी काउंसिलिंग पोर्टल पर उपलब्ध कराई जायेगी। अभ्यर्थी मेडिकल कॉसिल ऑफ इण्डिया/डेंटल कॉसिल ऑफ इण्डिया की वेबसाईट से भी सीटों की मान्यता के संबंध में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।

(iv) अभ्यर्थी की प्रवेश परीक्षा के संबंध में पोर्टल पर उपलब्ध जानकारी के संबंध में आपत्ति होने पर अभ्यर्थी पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया प्रारंभ होने के 2 दिवस पूर्व तक आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। आपत्ति का निराकरण काउंसिलिंग कमेटी द्वारा किया जायेगा। काउंसिलिंग कमेटी द्वारा लिया गया निर्णय अंतिम होगा।

(v) कण्डिका 1,2,3,4,5,6 एवं 7 में उपयोग किये गये शब्दों की परिभाषा मध्य प्रदेश शासकीय स्वशासी चिकित्सा तथा दंत चिकित्सा स्नातक पाठयक्रम प्रवेश नियम, 2017 के नियम 2 अथवा मध्यप्रदेश में राज्य से वित्तीय सहायता न पाने वाले निजी चिकित्सा महाविद्यालयों एवं दंत चिकित्सा महाविद्यालयों में एम.बी.बी.एस. तथा बी.डी.एस. पाठयक्रम में प्रवेश की पात्रता, प्रवेश की रीति एवं स्थानों के आरक्षण (अनिवासी भारतीय के लिए स्थानों का आरक्षण सम्मिलित है) के लिए विनियम, 2017 के विनियम 2, (जो लागू हो) के अनुसार ही रहेंगीं।

2. <u>रजिस्ट्रेशन एवं एलॉटमेंट</u> :–

(i) अभ्यर्थी को काउंसिलिंग के प्रथम चरण से पूर्व घोषित निर्धारित तिथियों में ऑनलाईन रजिस्ट्रेशन पोर्टल पर कराया जाना होगा। **केवल आनलाईन रजिस्टर्ड अभ्यर्थी ही काउंसलिंग प्रक्रिया में भाग लेने हेतु पात्र होंगे।** ऑनलाईन रजिस्ट्रेशन एवं च्वाईस फिलिंग (choice filling) के लिये सम्पूर्ण प्रक्रिया आवश्यक दिशा निर्देशों सहित पोर्टल पर उपलब्ध होगी।

(ii) ऑनलाईन रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया सिर्फ प्रथम चरण की काउंसिलिंग से पूर्व निर्धारित तिथियों में ही उपलब्ध रहेगी। काउंसिलिंग के प्रथम चरण के प्रारंभ होने के उपरान्त आगामी किसी भी चरण में ऑनलाईन रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया दोबारा नहीं की जा सकेगी । सभी अभ्यर्थियों को अपना ऑनलाईन रजिस्ट्रेशन काउंसिलिंग के प्रथम चरण प्रारंभ होने से पूर्व निर्धारित तिथियों में अनिवार्य रूप से कराना होगा। यदि कोई अभ्यर्थी आनलाईन रजिस्ट्रेशन निर्धारित तिथियों में नहीं कराता है तो वह कांउसलिंग प्रक्रिया के किसी भी चरण में एवं लेफ्ट आउट सीट्स के आवंटन में भाग लेने के लिए अपात्र होगा।

(iii) शासकीय स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालय/दंत चिकित्सा महाविद्यालय एवं निजी चिकित्सा महाविद्यालय/निजी दंतचिकित्सा महाविद्यालय के लिये केवल एक ही रजिस्ट्रेशन कराया जाना होगा ।

(iv) रजिस्ट्रेशन के समय अभ्यर्थी को निम्नलिखित अभिलेखों को स्कैन (Scan) कर पोर्टल पर अपलोड करना होगा।

1. 10वी. की बोर्ड परीक्षा की अंकसूची या संबंधित बोर्ड द्वारा जारी किया गया प्रमाण–पत्र जिसमें स्पष्ट रूप से आयु अंकित हो–(आयु प्रमाण हेतु)।

2. मध्यप्रदेश राज्य का स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र, यदि लागू हो ।

3. मध्यप्रदेश राज्य का स्थायी जाति प्रमाण पत्र, यदि लागू हो।

4. आधार कार्ड।

5. वर्ष 2016–17 का तहसीलदार द्वारा जारी आय प्रमाण पत्र (अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों की क्रीमी/नॉन क्रीमी लेयर अथवा मुख्यमंत्री मेघावी विद्यार्थी योजना में पात्रता निर्धारण हेतु) (यदि लागू हो) ।

6. दिव्यांग प्रवर्ग हेतु जिला मेडिकल बोर्ड द्वारा जारी प्रमाण पत्र एवं दिव्यांग पुर्नवास केन्द्र नेपियर टाउन जबलपुर से जारी पात्रता प्रमाण पत्र जो काउंसिलिंग के प्रथम चरण प्रारंभ होने की तिथि से तीन माह से अधिक पुराना न हो (यदि लागू हो) ।

7. अनिवासी भारतीय नागरिक होने संबंधी आवश्यक प्रमाण–पत्र ।

8. स्वतंत्रता संग्राम सेनानी/सैनिक प्रवर्ग संबंधी प्रमाण पत्र (यदि लागू हो)।

9. कक्षा 12वीं (2017) की अंक सूची (मुख्यमंत्री मेघावी विद्यार्थी योजना में पात्रता हेतु)

(v) अभ्यर्थी सीट आवंटन के लिये अपनी पात्रता अनुसार विकल्प दे सकेंगें कि वह शासकीय स्वशासी अथवा/और निजी महाविद्यालयों में किस स्नातक पाठ्यक्रम में प्रवेश लेना चाहते हैं। विकल्प निम्नानुसार दे सकेंगें :–

(अ) शासकीय स्वशासी चिकित्सा/स्वशासी दंत चिकित्सा महाविद्यालय

(ब) निजी चिकित्सा/निजी दंत चिकित्सा महाविद्यालय

(स) उक्त दोनों विकल्प

(द) अनिवासी भारतीय नागरिक किसी भी निजी महाविद्यालय विशेष के लिये दो विकल्प दे सकेंगें, (i) अनिवासी भारतीय नागरिकों के लिये आरक्षित सीट के विरूद्व (ii) पात्रता अनुसार अन्य सीट के विरूद्व ।

(vi) अभ्यर्थी द्वारा रजिस्ट्रेशन फीस ì 500/–, पोर्टल फीस ì 30/– (कुल 530) –

अ. इंटरनेट बैकिंग

ब. ए.टी.एम. कम डेबिट कार्ड

स. क्रेडिट कार्ड

के माध्यम से पोर्टल पर ऑनलाईन जमा की जा सकेगी ।

उपरोक्त सुविधा एम0पी0 ऑनलाईन के अधिकृत क्योस्क पर भी उपलब्ध रहेगी।

(vii) रजिस्ट्रेशन कराने के उपरान्त अभ्यर्थी पात्रता अनुसार पोर्टल पर च्वाईस फिलिंग एवं लॉकिंग (choice filling and locking) कर सकेगा जिसके लिये प्रत्येक बार ì 100/– च्वाईस लॉकिंग शुल्क के रूप में जमा करना होगा। अभ्यर्थी अनिवार्य रूप से च्वाईस लॉकिंग के उपरान्त उसका प्रिंट आउट (printout) प्राप्त कर लें। एक बार च्वाईस लॉकिंग के उपरान्त उसमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन संभव नहीं होगा।

(viii) सीट आवंटन का परिणाम घोषित होने के उपरांत अभ्यर्थी अपने प्रावधिक (Provisional) सीट आवंटन के आवंटन–पत्र का प्रिन्ट आउट (**मध्यप्रदेश शासकीय स्वशासी चिकित्सा तथा दंत चिकित्सा महाविद्यालय स्नातक प्रवेश नियम 2017 के नियम तथा** मध्यप्रदेश में राज्य से वित्तीय सहायता न पाने वाले निजी चिकित्सा महाविद्यालयों एवं दंत चिकित्सा महाविद्यालयों में एम. बी.बी.एस. तथा बी.डी.एस. पाठयक्रम में प्रवेश की पात्रता, प्रवेश की रीति एवं स्थानों के आरक्षण (अनिवासी भारतीय के लिए स्थानों का आरक्षण सम्मिलित है) के लिए विनियम, 2017 का प्रारूप–1) पोर्टल से ले सकेगा । इस प्रावधिक आवंटन में यह अंकित होगा कि अभ्यर्थी को कंडिका–3 अनुसार स्क्रूटनी एवं प्रवेश प्रक्रिया के लिये कहां और कब उपस्थित रहना है ।

(ix) अभ्यर्थी को आवंटित सीट पर प्रवेश लेना अनिवार्य होगा अन्यथा अभ्यर्थी अगले चरणों की काउंसिलिंग एवं लेफ्ट आउट सीटों के आवंटन की प्रक्रिया में भाग लेने के लिये अपात्र हो

जायेगा। अतः **अभ्यर्थियों से अपेक्षा है कि वह भली भांति सोच विचार कर च्वाईस भरें** ।

(x) **<u>अभ्यर्थियों (अनिवासी भारतीय अभ्यर्थियों को छोड़कर) को सीट आवंटन :–</u>**

(क) काउंसिलिंग के प्रथम चरण में निजी चिकित्सा एवं दंत चिकित्सा महाविद्यालयों में उपलब्ध अनारक्षित श्रेणी की सीटों का आवंटन मध्यप्रदेश में राज्य से वित्तीय सहायता न पाने वाले निजी चिकित्सा महाविद्यालयों एवं दंत चिकित्सा महाविद्यालयों में एम. बी.बी.एस. तथा बी.डी.एस. पाठयक्रम में प्रवेश की पात्रता, प्रवेश की रीति एवं स्थानों के आरक्षण (अनिवासी भारतीय के लिए स्थानों का आरक्षण सम्मिलित है) के लिए विनियम, 2017 के विनियम 6 (1) के अनुसार राज्य के पात्र स्थानीय निवासी को किया जायेगा।

(ख) काउंसिलिंग के द्वितीय चरण में निजी चिकित्सा एवं दंत चिकित्सा महाविद्यालयों में उपलब्ध अनारक्षित श्रेणी की सीटों का आवंटन मध्यप्रदेश में राज्य से वित्तीय सहायता न पाने वाले निजी चिकित्सा महाविद्यालयों एवं दंत चिकित्सा महाविद्यालयों में एम.बी.बी.एस. तथा बी.डी.एस. पाठयक्रम में प्रवेश की पात्रता, प्रवेश की रीति एवं स्थानों के आरक्षण (अनिवासी भारतीय के लिए स्थानों का आरक्षण सम्मिलित है) के लिए विनियम, 2017 के विनियम 6 (1) के अनुसार राज्य के पात्र स्थानीय निवासी अभ्यर्थियों को किये जाने के उपरान्त सीटें रिक्त रहने पर रिक्त सीटों पर अन्य राज्यों के अभ्यर्थियों को आवंटन किया जायेगा।

(xi) **<u>अनिवासी भारतीय (NRI) अभ्यर्थियों का आवंटन</u>** :–

(क) अनिवासी भारतीय को यदि उसके द्वारा दिये गये दो विकल्पों के अनुसार यदि दोनों विकल्पों पर सीट आवंटित होती है तो उस स्थिति में आवंटित सीटों में से जिस विकल्प की सीट पर

अभ्यर्थी द्वारा प्रवेश लिया जायेगा केवल उसी विकल्प की प्रवेशित सीट पर अपग्रेडेशन की पात्रता होगी।

(ख) काउंसिलिंग के प्रथम चरण में सीट आवंटन मध्यप्रदेश में राज्य से वित्तीय सहायता न पाने वाले निजी चिकित्सा महाविद्य ालयों एवं दंत चिकित्सा महाविद्यालयों में एम.बी.बी.एस. तथा बी. डी.एस. पाठयक्रम में प्रवेश की पात्रता, प्रवेश की रीति एवं स्थानों के आरक्षण (अनिवासी भारतीय के लिए स्थानों का आरक्षण सम्मिलित है) के लिए विनियम, 2017 के विनियम 6 (1) के अनुसार राज्य के पात्र स्थानीय निवासी अनिवासी भारतीय अभ्यर्थियों को किया जायेगा।

(ग) काउंसिलिंग के द्वितीय चरण में सीटे आवंटन मध्यप्रदेश में राज्य से वित्तीय सहायता न पाने वाले निजी चिकित्सा महाविद्य ालयों एवं दंत चिकित्सा महाविद्यालयों में एम.बी.बी.एस. तथा बी. डी.एस. पाठयक्रम में प्रवेश की पात्रता, प्रवेश की रीति एवं स्थानों के आरक्षण (अनिवासी भारतीय के लिए स्थानों का आरक्षण सम्मिलित है) के लिए विनियम, 2017 के विनियम 6 (1) के अनुसार राज्य के पात्र स्थानीय निवासी अनिवासी भारतीय अभ्यर्थियों को किये जाने के उपरान्त रिक्त सीटें राज्य के बाहर के अनिवासी भारतीय अभ्यर्थियों को आवंटित की जायेंगीं।

(xii) आवंटन संबंधी आपत्ति होने पर अभ्यर्थी को आवंटन घोषणा की दिनांक से एक दिवस के भीतर निर्धारित पोर्टल पर अपील दर्ज करानी होगी। अपील पर काउंसिलिंग कमेटी का निर्णय अंतिम होगा।

3. <u>स्कूटनी तथा प्रवेश</u> :–

अभ्यर्थी जिनको कंडिका–2 अनुसार प्रावधिक (प्रोविजनल) रूप से सीट आवंटित हुई है, उन्हें स्कूटनी एवं प्रवेश प्रक्रिया के लिये निर्धारित तिथि तथा समय पर आवंटित महाविद्यालय में उपस्थित होना होगा। स्कूटनी एवं प्रवेश की प्रक्रिया संबंधित महाविद्यालय द्वारा संपन्न की जायेगीः–

(i) अभ्यर्थियों को स्कूटनी एवं प्रवेश प्रक्रिया के समय स्वयं उपस्थित रहना अनिवार्य होगा।

(ii) स्कूटनी से पूर्व प्रवेश प्रक्रिया के लिये उपस्थित हुये अभ्यर्थियों की पोर्टल पर ऑनलाईन उपस्थिति (reporting) दर्ज कराई जायेगी।

(iii) स्कूटनी में आवंटित अभ्यर्थी की ऑनलाईन फोटो एवं हस्ताक्षर का सत्यापन Government of India, Ministry of Health & Family welfare से प्राप्त फोटो एवं हस्ताक्षर डाटा से किया जायेगा।

(iv) अभ्यर्थी द्वारा प्रवेश परीक्षा के लिये जमा किये गये ऑनलाईन आवेदन–पत्र के साथ जो फोटो संलग्न किये गए हैं उसी फोटो की 30 प्रतियॉ स्कूटनी एवं प्रवेश के समय लेकर उपस्थित होना होगा। इन्हीं फोटोग्राफ का उपयोग स्कूटनी एवं सम्पूर्ण पाठ्यक्रम के लिये महाविद्यालय तथा विश्वविद्यालय में किया जायेगा।

(v) स्कूटनी में, अभ्यर्थियों के मूल अभिलेखों (मध्यप्रदेश शासकीय स्वशासी चिकित्सा तथा दंत चिकित्सा स्नातक पाठ्यक्रम प्रवेश नियम, 2017 तथा मध्यप्रदेश में राज्य से वित्तीय सहायता न पाने वाले निजी चिकित्सा महाविद्यालयों एवं दंत चिकित्सा महाविद्यालयों में एम.बी.बी.एस. तथा बी.डी.एस. पाठयक्रम में प्रवेश की पात्रता, प्रवेश की रीति एवं स्थानों के आरक्षण (अनिवासी भारतीय के लिए स्थानों का आरक्षण सम्मिलित है) के लिए विनियम, 2017 के प्रारूप–1 में उल्लेखित) का सत्यापन किया जायेगा, जिससे कि प्रवेश के लिए उनकी पात्रता/अपात्रता निर्धारित हो सके। अभ्यर्थियों को लागू सभी प्रमाण–पत्रों/अभिलेखों की मूल प्रतियॉ एवं तीन छाया प्रतियां स्कूटनी की दिनांक को लाना अनिवार्य होगा । छायाप्रतियों पर अभ्यर्थी पूर्ण हस्ताक्षर करेंगें।

(vi) दिव्यांगों के लिये आनलाईन रजिस्ट्रेशन के पश्चात् निचले अंगो की गतिक विकलांगता के प्रतिशत 50 से 70 विंकलांगता (पी.एच.1) तथा 40 से 50 प्रतिशत के बीच की (50 प्रतिशत से कम) विकलांगता (पी.एच.2) के आधार पर प्रावधिक आवंटन (प्रोविजनल) जारी होगा। स्कूटनी के पश्चात् ही उपरोक्त प्रवर्ग के अभ्यर्थियों की पात्रता का निर्धारण होगा। अपात्र पाये जाने वाले अभ्यर्थियों का प्रावधिक आवंटन निरस्त कर दिया जायेगा एवं इस तरह रिक्त हुई सीट को अगले चरण की काउंसिलिंग में शामिल किया जायेगा ।

(vii) ऐसे अभ्यर्थी जिन्हें स्क्रूटनी में अपात्र घोषित किया जाता है, उनका आवंटन स्वमेव रद्द माना जायेगा एवं इसके फलस्वरूप रिक्त हुई सीट को अगले चरण की काउंसिलिंग में शामिल किया जायेगा।

(viii) स्क्रूटनी में लिये गये निर्णय के विरूद्व अपील उसी चरण की काउंसिलिंग के दौरान पोर्टल पर दर्ज करानी होगी।

(ix) प्रस्तुत अपीलों पर मध्यप्रदेश शासकीय स्वशासी चिकित्सा तथा दंत चिकित्सा स्नातक पाठ्यक्रम प्रवेश नियम, 2017 के नियम 9 अनुसार गठित काउंसिलिंग कमेटी द्वारा लिया गया निर्णय अंतिम होगा ।

(x) ऐसे अभ्यर्थी जिन्हें स्क्रूटनी में पात्र (eligible) घोषित किया गया है उन्हें संबंधित आवंटित संस्था की पूर्ण फीस पोर्टल पर,ऑनलाईन, स्क्रूटनी स्थल पर ही जमा करना अनिवार्य होगा। पात्र अभ्यर्थियों के शैक्षणिक शुल्क का भुगतान मध्यप्रदेश शासन द्वारा समय–समय पर जारी आदेशों के अनुसार किया जायेगा। शैक्षणिक शुल्क का भुगतान संबंधित विभाग द्वारा संबंधित संस्था को ऑनलाईन किया जायेगा।

परन्तु राज्य शासन द्वारा पात्र अभ्यर्थियों को शैक्षणिक शुल्क का भुगतान काउंसिलिंग की प्रक्रिया पूर्ण होने के पश्चात् ही नियमानुसार किया जा सकेगा। अतः काउंसिलिंग में राज्य शासन की प्रचलित योजनाओं में पात्र अभ्यर्थी (स्क्रूटनी में प्रस्तुत दस्तावेजों तथा प्रचलित योजनाओं के प्रावधानों के तहत परीक्षण किया जायेगा) को निम्न प्रारूप में वचन पत्र देना होगा :–

मैं..... (अभ्यर्थी का नाम) जो.....(प्रवेश परीक्षा का नाम) के आधार पर .....(प्रवेशित महाविद्यालय का नाम) में प्रवेश हेतु एमबीबीएस/बीडीएस चयनित हूँ को राज्य की अनुसूचित जनजाति विभाग/ अनुसूचित जाति विभाग/ तकनीकि शिक्षा विभाग (मेघावी छात्र विद्यार्थी योजना) (जो लागू न हो उसे काट दें) की योजना के तहत् राज्य शासन द्वारा शैक्षणिक शुल्क के भुगतान की पात्रता है, वचन देता/देती हूँ कि अगर उक्त योजना के स्वीकृतकर्ता अधिकारी द्वारा कालांतर में मुझे राज्य शासन की प्रचलित योजना में शैक्षणिक शुल्क के भुगतान के लिय अपात्र माना जाता है तो मैं कालेज की संपूर्ण फीस ऐसे अपात्र पाये जाने की दिनांक से 15 दिवस के भीतर..... (प्रवेशित महाविद्यालय का नाम) महाविद्यालय में जमा करूंगा/करूंगी अन्यथा मेरा प्रवेश प्राचार्य/अधिष्ठाता..... (प्रवेशित महाविद्यालय का नाम) महाविद्यालय द्वारा निरस्त किया जा सकेगा।

(अभ्यर्थी के हस्ताक्षर)

अभ्यर्थी का पूरा नाम.....

प्रवेश परीक्षा का नाम तथा.....

टेस्टिंग आई.डी.....

(xi) चयनित अभ्यर्थी द्वारा कंडिका 3(x) की कार्यवाही किये जाने पर संबंधित महाविद्यालय को पोर्टल पर संबंधित अभ्यर्थी का एडमिशन स्लिप (Admission slip)जनरेट कर अभ्यर्थी का प्रवेश लॉक (Lock) किया जाना होगा। यह चयनित अभ्यर्थी का उस चरण की काउंसिलिंग का अंतिम प्रवेश माना जायेगा। संबंधित अधिष्ठाता/प्राचार्य द्वारा अभ्यर्थी को जमा कराये गये मूल दस्तावेजों से संबंधित प्रमाण पत्र प्रवेश नियमों/विनियमनों के अनुसार जारी किया जायेगा।

(xii) प्रवेश के समय अभ्यर्थी आवंटित महाविद्यालय में प्रस्तुत किये गये अभिलेखों पर पूर्ण हस्ताक्षर करेंगें । सभी स्थानों पर एक समान हस्ताक्षर किये जाने होंगें। हस्ताक्षरों में भिन्नता पाई जाने पर अभ्यर्थी सीट पर प्रवेश का हकदार नहीं होगा ।

(xiii) ऐसे अभ्यर्थी जिन्हें काउंसिलिंग के प्रथम चरण मे सीट आवंटित हुई है उन्हें अगले चरण की काउसिंलिंग के लिये पोर्टल पर यह आप्शन देना होगा कि वह अपग्रेडेशन चाहता है अथवा नहीं [willing for upgradation (**YES OR NO**)] । पोर्टल पर डिफाल्ट आप्शन (default option) not willing for upgradation होगा। यह ऑप्शन कंडिका 3 (xi) अनुसार प्रवेश पूर्ण होने के पश्चात् ही उपलब्ध होगा।

(xiv) किसी भी अभ्यर्थी को एक बार सीट व महाविद्यालय आवंटित किये जाने के पश्चात् नियमानुसार पुनः आवंटन (upgradation)की पात्रता मेरिट के अनुसार होगी । इसके लिये अभ्यर्थी को प्रत्येक आवंटन पश्चात् निर्धारित तिथि तक मूल दस्तावेंजों की स्कूटनी कंडिका 3 (xvii) के अनुसार एवं शुल्क जमा करने के पश्चात् संबंधित महाविद्यालय में निर्धारित तिथि तक मूल दस्तावेज जमा कर प्रवेश की प्रक्रिया पूर्ण करना होगी ।

(xv) प्रथम बार चयन के पश्चात भरी गई फीस आगामी चयन के लिये समायोजित की जा सकेगी। समायोजन के पश्चात् अधिक भरी गई फीस अभ्यर्थी के बैंक खातें में सम्पूर्ण काउंसिलिंग समाप्त होने की दिनांक से 7 दिवस के भीतर जमा करा दी जायेगी।

(xvi) चयनित अभ्यर्थी जिन्होनें काउंसिलिंग के प्रथम चरण में अपग्रेडेशन का ऑप्शन दिया है, अगले चरण में अपग्रेड होने पर ऐसे अभ्यर्थियों को अपग्रेडेड सीट पर प्रवेश लेना अनिवार्य होगा। ऐसी स्थिति में अभ्यर्थी की प्रथम चरण की काउंसिलिंग से प्रवेशित सीट स्वतः निरस्त हो जायेगी ।

(xvii) ऐसे अभ्यर्थी जो द्वितीय चरण की काउंसिलिंग में अपग्रेड होते हैं उन्हें नवीन आवंटित महाविद्यालय में प्रवेश हेतु प्रथम चरण की काउंसिलिंग से प्रवेशित संस्था के अधिष्ठाता/प्राचार्य द्वारा अभ्यर्थी को प्रवेश के समय जमा किये गये दस्तावेज का प्रमाण पत्र नवीन आवंटित संस्था में प्रवेश हेतु प्रस्तुत करना होगा जिसके आधार पर उसकी प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण की जायेगी।

(xviii)ऑल इण्डिया कोटे की रिर्वटेड सीटों का श्रेणीवार वितरण कम्प्यूटराईज (Computerized) रेण्डम नंबर जनरेशन (Random number Generation) पद्वति से आरक्षण के लिये निर्धारित प्रतिशत अनुसार श्रेणीवार किया जायेगा।

(xix) प्रथम चरण की काउंसिलिंग के उपरान्त आगामी चरणों की काउंसिलिंग में निम्नलिखित अभ्यर्थी पात्र होंगे :–

क) ऐसे रजिस्टर्ड अभ्यर्थी जिन्होने प्रथम चरण की काउंसिलिंग में आवंटित सीट पर प्रवेश लिया है तथा willing for upgradation का ऑप्शन दिया है।

ख) ऐसे रजिस्टर्ड अभ्यर्थी जिन्हें काउंसिलिंग के पूर्व के चरणों में कोई सीट आवंटित नहीं हुई हो ।

ग) ऐसे रजिस्टर्ड अभ्यर्थी जिन्होने पूर्व के चरणों में च्वाईस फिलिंग नहीं की है।

अर्थात् प्रथम चरण के उपरान्त आगामी चरणों की काउंसिलिंग में निम्नलिखित अभ्यर्थी अपात्र होंगे :–

घ) यदि कोई अभ्यर्थी पूर्व के चरणों में आवंटित सीट पर प्रवेश लेने के उपरांत किसी भी कारण से उस सीट से त्यागपत्र देता है तो ऐसे

अभ्यर्थी को शासकीय चिकित्सा/दंत चिकित्सा महाविद्यालय एवं निजी चिकित्सा/दंत चिकित्सा महाविद्यालय की आगामी चरणों की काउसंलिंग एवं लेफ्ट आउट सीट्स के आवंटन की प्रक्रिया में भाग लेने के लिये अपात्र माना जायेगा ।

ड़) आवंटित सीट पर प्रवेश नहीं लेने वाले अभ्यर्थी।

(xx) कार्यालय आयुक्त चिकित्सा शिक्षा द्वारा चयनित अभ्यार्थियों की जमा फीस संबंधित कॉलेज के निर्धारित बैंक खाते में सम्पूर्ण काउंसिलिंग समाप्त होने के 15 दिवस के भीतर जमा करा दी जायेगी। इस संबंध में किसी प्रकार की शिकायत होंनें पर कॉलेज पोर्टल पर शिकायत दर्ज करा सकेंगें।

(xxi) मध्यप्रदेश शासकीय स्वशासी चिकित्सा तथा दंत चिकित्सा महाविद्यालय स्नातक प्रवेश नियम 2017 के नियम तथा मध्यप्रदेश में राज्य से वित्तीय सहायता न पाने वाले निजी चिकित्सा महाविद्यालयों एवं दंत चिकित्सा महाविद्यालयों में एम.बी.बी.एस. तथा बी.डी.एस. पाठयक्रम में प्रवेश की पात्रता, प्रवेश की रीति एवं स्थानों के आरक्षण (अनिवासी भारतीय के लिए स्थानों का आरक्षण सम्मिलित है) के लिए विनियम, 2017 के क्रमशः नियम 5 (9) तथा विनियम 5 (6) के अनुसार रिक्त आरक्षित सीटें द्वितीय चरण के सीट आवंटन में भरी जायेंगी। उक्तानुसार द्वितीय आवंटन के पश्चात रिक्त रही सीटें लेफ्ट आउट सीटों की प्रवेश प्रक्रिया के लिये अपनी मूल श्रेणी में ही उपलब्ध रहेंगीं।

4. लेफ्ट आउट सीट्स के आवंटन के समय अभ्यर्थी को शासकीय स्वशासी/निजी कॉलेजों की पूर्ण वार्षिक फीस तथा सभी मूल दस्तावेज काउंसिलिंग स्थल पर जमा कराना अनिवार्य होगा अन्यथा उन्हें सीट आवंटित नहीं की जायेगी ।

5. लेफ्ट आउट सीट्स के आवंटन हेतु निम्नलिखित अभ्यर्थी **<u>पात्र</u>** होंगें:–

क) ऐसे रजिस्टर्ड अभ्यर्थी जिन्हें पूर्व की काउंसिलिंग की चरणों में कोई सीट आवंटित नहीं हुई हो ।

ख) ऐसे रजिस्टर्ड अभ्यर्थी जिन्होंने पूर्व के चरणों में च्वाईस फिलिंग नहीं की है।

अर्थात् लेफ्ट आउट सीट्स के आवंटन हेतु निम्नलिखित अभ्यर्थी **<u>अपात्र</u>** होंगें:–

ग) ऐसे अभ्यर्थी जो पूर्व के चरणों की काउसिंलिंग में उनको आवंटित सीट पर प्रवेशित हैं ।

घ) ऐसे अभ्यर्थी जिन्होने पूर्व के चरणों की काउंसिलिंग में उनको आवंटित सीट पर प्रवेश नहीं लिया है ।

ड़) ऐसे अभ्यर्थी जिनके द्वारा पूर्व के चरणों की काउसंलिंग में उनको आवंटित सीट पर प्रवेश लेने के उपरांत त्यागपत्र दिया गया है ।

6. <u>प्रवेशित सीट से त्यागपत्र/प्रवेश का निरस्तीकरण किया जाना</u> :–

यह प्रक्रिया संबंधित महाविद्यालय में पोर्टल पर आनलाईन की जायेगी।

(i) प्रवेश निरस्तीकरण का आशय यह है कि कोई भी अभ्यर्थी प्रवेश लेने के पश्चात शासकीय /निजी चिकित्सा/दंत चिकित्सा महाविद्यालय में किसी भी कारणवश स्वेच्छा से सीट रिक्त/परित्याग करता है तो इस प्रक्रिया को प्रवेशित सीट से त्यागपत्र माना जायेगा। यह स्पष्ट किया जाता है कि यदि कोई छात्र प्रदेश के अंदर एक संस्था से दूसरी संस्था में प्रवेश लेता है तब इस प्रक्रिया को अपग्रेडेशन/पुर्नआवंटन कहा जायेगा ।

(ii) किसी भी शासकीय/निजी महाविद्यालय में प्रवेश से त्यागपत्र के प्रकरणों के लिए निम्नलिखित प्रक्रिया निर्धारित की जाती है :–

प्रवेश के पश्चात् प्रवेश निरस्त कराने हेतु आवेदन पत्र पूर्ण औचित्य के साथ संबंधित महाविद्यालय के अधिष्ठाता/प्राचार्य को (संबंधित छात्र द्व ारा) प्रस्तुत करना होगा। संबंधित छात्र को आवेदन पत्र के साथ फोटोग्राफ (जो उसने प्रवेश के समय प्रस्तुत किये थे), एडमीशन स्लिप की स्वप्रमाणित प्रति, तथा जमा की गई फीस की रसीद की स्वयं सत्यापित प्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा। संबंधित महाविद्यालय के अधिष्ठाता/प्राचार्य, द्वारा आवेदन पत्र पर निर्णय लेकर आवेदन पत्र प्रस्तुति के 3 दिवस के भीतर महाविद्यालय का निर्णय संबंधित छात्र, एम.सी.आई./डी.सी.आई. तथा संबंधित विश्वविद्यालय एवं संचालक चिकित्सा शिक्षा को सूचित किया जायेगा। जहॉ सीट लीविंग बॉण्ड (Seat Leaving Bond) की शर्त लागू हो उन प्रकरणों में

त्याग पत्र के पूर्व सीट लीविंग बॉण्ड (Seat Leaving Bond) की राशि जमा कराई जाना अनिवार्य होगा। प्रवेश निरस्त होते ही संबंधित संस्था के अधिष्ठाता/प्राचार्य द्वारा मूल अभिलेख संबंधित छात्र अथवा अधिकृत अभिभावक को उसी दिन वापिस किये जायेंगें। संबंधित संस्था के अधिष्ठाता/प्राचार्य प्रवेशित छात्रों एवं प्रवेश निरस्त किये गये छात्रों की सूची संचालक चिकित्सा शिक्षा मध्य प्रदेश को निम्नानुसार भेजी जाना सुनिश्चित करेंगें :–

प्रवेश निरस्तीकरण की जानकारी महाविद्यालय के अधिष्ठाता/प्राचार्य द्वारा संचालक चिकित्सा शिक्षा मध्य प्रदेश को परिशिष्ट–1 पर ई–मेल dme12001@yahoo.com और डाक द्व ारा उपलब्ध कराई जायेगी।

7. <u>अन्य–</u>

सभी संस्थाएं प्रवेशित एवं प्रवेश निरस्त किये गये छात्रों की पूर्ण सूचियॉ कम से कम एक वर्ष तक अपनी वेबसाईट पर निरन्तर प्रदर्शित करेंगीं ।

(परिशिष्ट–1)

दिनांक ..... से दिनांक..... तक

प्रवेशित/प्रवेश निरस्त/रिक्त सीटों की अद्यतन स्थिति की जानकारी का प्रपत्र

शैक्षणिक सत्र 2017–18

चिकित्सा/दंत चिकित्सा महाविद्यालय का नाम :– .....

स.क्र	छात्र का नाम	नीट यू.जी. 2017			पात्रता श्रेणी	आवंटित श्रेणी	आवंटित पाठ्यक्रम का नाम (एमबीबीएस/बीडीएस)	प्रवेश तिथि	प्रवेश निरस्त का दिनांक (यदि आवश्यक हो)	प्रवेश निरस्तीकरण का कारण	वर्तमान स्थिति सीट रिक्त/भरी
		रोल नंबर	राज्य रैंक	आल इण्डिया रैंक							
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)

हस्ताक्षर एवं सील

अधिष्ठाता/प्राचार्य